बिहार सरकार
खेल विभाग
।। अधिसूचना ।।

पत्रांक– 3/ खेल–1–13/2021-2122./ पटना, दिनांक–03-12/2024

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत निर्मित खेल भवन–सह–व्यायामशाला के संचालन एवं प्रबंधन तथा खेल गतिविधियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका–2024

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अर्न्तगत राज्य के सभी जिला मुख्यालयो मे खेल विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षको, कर्मचारियो के लिए कार्यालय भवन एव इण्डोर गेम्स के खिलाडियो के अभ्यास के लिए खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत निर्मित –खेल भवन–सह–व्यायामशाला का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है

1. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में खेल कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
2. ओलम्पिक खेलों, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलो, राष्ट्रीय खेलों एव खेलो इंडिया अन्तर्गत प्राथमिकता वाले खेलो (Indoor Games) का विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्ष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
3. प्रतिस्पर्द्धात्मक खेलो के अभ्यास से सबंधित खिलाडियों को वेट ट्रेनिंग/मल्टीजिम सुविधा एव शारीरिक सौष्ठता हेतु युवाओं को मल्टीजिम की सुविधा उपलब्ध कराना है ।

इस भवन के द्वितीय तल पर जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय एवं एक कॉन्फ्रेन्स हॉल आवश्यक सुविधाओं के साथ निर्मित किया गया है। खेल भवन–सह–व्यायामशाला भवनों का सचालन एव प्रबंधन निम्नांकित रूप से किया जाएगा :– .

1. खेल भवन–सह–व्यायामशाला का उद्देश्य :–

I राज्य के सभी जिला मुख्यालयो मे खेल कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना।

II चिन्हित इंडोर खेलो हेतु सम्पूर्ण वर्ष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

III प्रतिस्पर्द्धात्मक खेलो के अभ्यास से संबंधित खिलाड़ियो को वेट ट्रेनिग/मल्टीजिम सुविधा उपलब्ध कराना।

2.खेल भवन–सह–व्यायामशाला की संरचना :–

संरचना	विवरण
तृतीय तल (छत)	• भविष्य में 50 खिलाडियों एव प्रशिक्षकों के आवासन हेतु हॉल, किचेन हॉल डायनिग हॉल, शौचालय आदि का निर्माण।
द्वितीय तल	• जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय। • कॉन्फ्रेन्स रूम (50 व्यक्तियों हेतु)। • योगा, एरोबिक्स एक्सरसाईजेज, टेबुल टेनिस हॉल।

CamScanner

प्रथम तल	• मिश्रित खेल प्रशिक्षण हेतु हॉल।
	• ताईक्वाण्डो, कुश्ती, कबड्डी, वुशू एवं तलवारबाजी।
भू–तल	• व्यायामशाला हॉल, मल्टीजिम, जिम उपकरण, ट्रेडमिल।
	• भारोत्तोलन

3. खेल भवन–सह–व्यायामशाला संचालन समिति की संरचना (06 सदस्यीय) :–

I.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
II.	वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
III.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
IV.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
V.	बि. रा. भ. नि. नि. लि. के संबंधित कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य
VI.	जिला खेल पदाधिकारी / उपाधीक्षक / अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा	–	सदस्य सचिव

4. खेल भवन–सह–व्यायमशाला संचालन समिति के कार्य एवं दायित्व :–

I. चिन्हित खेलों के खिलाड़ियों का चयन, संख्या निर्धारण तथा मल्टी जिम प्रयोग का निर्धारण करना।

II. खेल भवन में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु शुल्कों का निर्धारण।

III. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का प्रबंधन तथा समय सारणी का निर्धारण करना।

IV. प्रबंधन समिति द्वारा तिमाही स्तर पर खेल भवन–सह--व्यायमशाला के सुगम संचालन एवं प्रबंधन हेतु बैठक आयोजित की जायेगी एवं लिये गये निर्णयों को सूचीबद्ध किया जायेगा।

5. मुख्यालय स्तर पर खेल भवन–सह–व्यायमशाला प्रबंधन समिति की संरचना (09 सदस्यीय):–

I.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, खेल विभाग	–	अध्यक्ष
II.	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि	–	सदस्य
III.	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना	–	सदस्य
IV.	निदेशक (खेल), खेल विभाग	–	सदस्य
V.	निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना	–	सदस्य
VI.	संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, खेल विभाग	–	सदस्य
VII.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग	–	सदस्य
VIII.	कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता, खेल विभाग	–	सदस्य
IX.	उप निदेशक (युवा) / सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग	–	सदस्य सचिव

6. मुख्यालय स्तर पर खेल भवन–सह–व्यायमशाला प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व :–

I. खेल भवन–सह–व्यायामशाला का अनुरक्षण एवं सुरक्षा कार्य खेल विभाग / बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा।

II. जिला खेल पदाधिकारी को मार्गदर्शन प्रदान करना।

III. खेल भवन के रख–रखाव एवं सुरक्षा हेतु राशि का आवंटन खेल विभाग के द्वारा संबंधित सभी जिला खेल पदाधिकारी / उपाधीक्षक / अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा को की जायेगी।

यह समिति त्रैमासिक स्तर पर राज्य के सभी खेल भवन–सह–व्यायमशाला के सुगम सचालन एव प्रबधन हेतु जिला स्तरीय प्रबधन समितियो की अनुशसा के आलोक मे एव विभागीय स्तर पर कार्रवाई किये जाने हेतु अपनी बैठक मे आवश्यक निर्णय लेगी।

7. खिलाडियों की चयन प्रक्रिया:–

I बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी अहर्ता एव बैट्री टेस्ट के अनुरूप खिलाडियो का चयन किया जायेगा।

II जिला खेल भवन–सह–व्यायामशाला में राज्य एव केन्द्र की "गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र योजना" एव एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र योजना के आलोक मे ही चिन्हित इडोर खेल विधाओं का प्रशिक्षण सचालन किया जायेगा।

8. प्रशिक्षक चयन प्रक्रिया :–

I प्रशिक्षको की व्यवस्था – विभागीय इम्पैनल (सूचीबद्ध/BSSAसे प्राप्त) सूची से की जायेगी।

II कार्यावधि – प्रतिदिन 05 से 06 घटा (पूर्वाह्न एवं अपराह्न प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षको से ट्रेनिग प्लान प्राप्त किया जायेगा)।

9. शुल्क का निर्धारण :–

I प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सभी प्रशिक्षुओं से ₹100/–(एक सौ रूपये) मात्र प्रति माह की दर से शुल्क लिया जायेगा। खेल भवन मे चिन्हित खेलो के खिलाडियो को ही जिम एव खेल प्रशिक्षण सबधी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।

II मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता/अन्तर्राष्ट्रीय पदक के प्रतिभागी/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ के पदक विजेता खिलाडियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त होगी।

III आर्थिक रूप से कमजोर खिलाडियो को खेल भवन–सह–व्यायामशाला प्रबधन समिति की अनुशसा पर नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी।

IV खेल भवन के कॉन्फ्रेन्स हॉल का उपयोग जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा विभागीय खेल कार्यो एव अन्य खेल गतिविधियों हेतु नि:शुल्क किया जायेगा।

V खेल गतिविधियो से संबंधित बैठक/कॉन्फ्रेन्स/खेल सेमिनार/खेल विवज आदि के आयोजन हेतु राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य सस्थानो के लिए कॉन्फ्रेन्स हॉल को न्यूनतम ₹3,000/–(तीन हजार रूपये) मात्र एवं गैर सरकारी खेल/शैक्षणिक सस्थाओ एव अन्य विभागो को ₹5,000/–(पाँच हजार रूपये) मात्र प्रतिदिन की दर पर आरक्षित किया जायेगा

VI. खेल भवन–सह–व्यायामशाला मे चिन्हित खेलो की जिला एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, अधिकारिक राज्य एवं जिला खेल सघ के द्वारा आयोजन हेतु खेल एरिना का न्यूनतम ₹3000/–(तीन हजार रूपये) मात्र प्रतिदिन की दर से सबधित खेल एरिना को आरक्षित किया जायेगा।

VII व्यावसायिक खेल संस्थाओं/निजी शैक्षणिक सस्थानों द्वारा खेल भवन हेतु चिन्हित खेलो के प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु संबंधित एक खेल एरिना का आरक्षण न्यूनतम ₹5000/–(पाँच हजार रूपये) मात्र प्रतिदिन के दर पर आरक्षित किया जायेगा।

VIII उपरोक्तनुसार आरक्षण से प्राप्त राशि को एक निधि के रूप में सचालन हेतु संधारित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला में जिला खेल भवन–सह–व्यायामशाला के नाम से एक बैंक बचत खाता खोला जायेगा। इस खाते का सचालन मार्गदर्शिका की शर्त सं०–03 में वर्णित जिला स्तरीय सचालन समिति की बैठक मे निर्णयानुसार अथवा जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त राशि व्यय की जायेगी।

IX विभागीय प्राप्त आवटन एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधि के आय–व्यय का लेखांकन, एवं अकेक्षण कराने का उत्तरदायित्व संबधित जिला खेल पदाधिकारी का होगा।

CamScanner

विभागीय अनुमोदित बजट के अलावा यदि कोई व्यय करना हो, तो जिला स्तरीय प्रबधन समिति के अनुमोदन पश्चात् ही किया जायेगा।

XI खेल भवन–सह–व्यायामशाला हेतु विभाग/प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि एव आरक्षण से प्राप्त राशि का विवरण स्पष्ट रूप से आय–व्यय पंजी में सधारित करेंगे। खेल भवन–सह–व्यायामशाला से प्राप्त कुल शुल्क राशि माहवार जिला कोषागार में संबंधित शीर्ष में जमा की जायेगी।

XII. खेल भवन के संचालन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि का उपयोग/व्यय, बिहार वित्त नियमावली के अनुरूप एवं विभागीय दिशा निर्देश के आलोक मे जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा के द्वारा किया जायेगा।

XIII. प्रशिक्षक का मानदेय खेल विभाग से प्राप्त आवंटन से जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा द्वारा देय होगा।

10. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का प्रबंधन :–

I प्रशिक्षण कार्य का पूर्ण दायित्व प्रशिक्षकों/ट्रेनरों का होगा।

II सामान्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन पूर्वाह्न एवं अपराह्न में किया जायेगा।

III जिला खेल पदाधिकारी की सहमति से विद्यालय/महाविद्यालय के शैक्षणिक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए खेल प्रशिक्षक/ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

11. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का समय सारणी का निर्धारणः–

I विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षक/ट्रेनर एवं खिलाड़ियों की अवधि एवं समय में बदलाव किया जा सकेगा।

II प्रशिक्षण अवधि पूर्वाह्न 6:30 से 8:30 (ग्रीष्म एवं वर्षा काल)

III प्रशिक्षण अवधि अपराह्न 4:00 से 6:00

IV. प्रशिक्षण अवधि पूर्वाह्न 7:00 से 9:00 (शरद काल)

V प्रशिक्षण अवधि अपराह्न 3:00 से 5:00

नोटः– विशेष परिस्थिति में जिला प्रबंधन समिति के अनुमोदनोपरांत समय अवधि मे परिवर्तन या प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे।

12. जिला खेल पदाधिकारी के दायित्वः–

I. जिला खेल पदाधिकारी, खेल भवन–सह–व्यायामशाला भवन के रख–रखाव, सुरक्षा संचालन एव खेल गतिविधियों के संचालन के नोडल पदाधिकारी होगे।

II. खेल भवन–सह–व्यायामशाला हेतु विभाग/प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि एव आरक्षण से प्राप्त राशि का विवरण स्पष्ट रूप से आय–व्यय पंजी में संधारित करेंगे।

III. मान्यता प्राप्त जिला/राज्य खेल संघों के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में खिलाडियों के भाग लेने के लिए जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

IV. खिलाड़ियों के परिचय पत्र/अन्य दैनिक व्यय/सुरक्षा गार्ड/होम गार्ड/आकस्मिक व्यय के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा आवंटन का प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा।

V. खेल भवन–सह–व्यायामशाला से प्राप्त कुल शुल्क राशि माहवार जिला कोषागार में संबंधित शीर्ष में जमा की जायेगी।

VI खेल भवन के संचालन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि का उपयोग/व्यय, बिहार वित्त नियमावली के अनुरूप एवं विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

CamScanner

I. खेलवार सभी खिलाडिया एव प्रशिक्षको की उपस्थिति पंजी का सधारण किया जायेगा।

13. अन्य बिन्दु :–

I उपस्कर/उपकरणः– उपलब्ध कराये गये खेल उपकरणों के अतिरिक्त उपस्कर के लिए खेल भवन–सह–व्यायामशाला मे उपलब्ध खेल उपस्करो और संचालन हेतु वार्षिक राशि का आकलन कर जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा आवश्यकतानुसार अधियाचना विभाग से की जायेगी।

II. आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपस्कर का क्रय, नियमानुसार जिला क्रय समिति के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

III विभागीय खेल कार्यक्रम/अभ्यास/खेल प्रशिक्षण शिविर के आयोजन को प्राथमिकता दी जायेगी।

IV. खेल भवन की सुरक्षा 24X7 घंटा किया जायेगा।

V. खेल भवन के रख–रखाव, अनुरक्षण एवं सुरक्षा कार्य हेतु निविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेसी का चयन प्रबंधन समिति द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा।

VI. प्रशिक्षक का मानदेय खेल विभाग से आवंटन प्राप्त कर जिला खेल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

VII सभी प्रशिक्षक पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था पर होंगे तथा जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन होंगे। प्रतिदिन प्रशिक्षण दोनो पालियों (प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के योजना अनुरूप) में कराना अनिवार्य होगा।

VIII प्रशिक्षक/ट्रेनर की सेवायें अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 11 (ग्यारह) माह हेतु के लिए ली जायेगी । इसके लिए उन्हें सरकारी नौकरी का दावा मान्य नहीं होगा। प्रशिक्षक/ट्रेनर का कार्य एवं सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा परियोजना बंद होने की स्थिति अल्प सूचना पर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

IX प्रशिक्षक/ट्रेनर की सेवा संतोषप्रद होने पर जिला प्रबंधन समिति द्वारा अगले सत्र हेतु विस्तार किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

23/12/24

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
खेल विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 3/ खेल–1–13/2021 2122 / पटना, दिनांक– 23.12.2024

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, खेल विभाग के प्रधान आप्त सचिव/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी जिला खेल पदाधिकारी, खेल विभाग/प्राचार्य, बी0 पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय/प्रबंधक, मोईनुल हक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/12/24

सरकार के संयुक्त सचिव।
खेल विभाग, बिहार, पटना।

CamScanner